केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली –110 001
फोन: 23353503, फैक्स: 23753923

याचिका सं. 141/टीएल/2023 — दिनांक: 17.7.2023

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

खावड़ा ।।–बी ट्रांसमिशन लिमिटेड, बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) पर फेस ।।–भाग बी के अधीन खावड़ा पीएस पर 4.5 जीडब्ल्यू आरई अंतःक्षेपण की निकासी के लिए पारेषण योजना स्थापित करने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है:

क्रम सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी	संबंधित घटक की वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) घोषित करने के लिए पूर्वापेक्षित घटक
1.	लकाडिया पीएस–अहमदाबाद 765केवी डी/सी लाइन	24	क्रम सं. 1, 2 और 3 पर अंकित घटकों को एक साथ आरंभ किए जाने की आवश्यकता है चूंकि उनका उपयोग एक–दूसरे के आरंभ होने पर निर्भर है।
2.	लकाडिया पीएस–अहमदाबाद 765 केवी डी/सी लाइन के लिए लकाडिया पीएस पर 765 केवी लाइन बे के 2 नंबर 765 केवी लाइन बे –2 नंबर		
3.	लकाडिया पीएस–अहमदाबाद 765 केवी डी/सी लाइन के अहमदाबाद सिरे पर प्रत्येक सर्किट के लिए 240 एमवीएआर, 765 केवी स्विचेबल लाइन रिएक्टर • 1x240 एमवीएआर, 765 केवी स्विचेबल लाइन रिएक्टर–2 नंबर (लकाडिया पीएस–अहमदाबाद 765 केवी डी/सी लाइन के अहमदाबाद सिरे पर प्रत्येक सर्किट के लिए) • 765 केवी लाइन रिएक्टर के लिए स्विचिंग उपस्कर –2 नंबर • 1x80 एमवीएआर स्पेयर रिएक्टर–1नंबर (अहमदाबाद सिरे के लिए)		

नोट:

(i) खावड़ा पर 3 जीडब्ल्यू आरई अंतःक्षेपण की निकासी के लिए पारेषण योजना को खावड़ा पर 4.5 जीडब्ल्यू आरई अंतःक्षेपण की निकासी के लिए फेस–। फेस–।। आरई योजना के अधीन लिया जा रहा है जिसे खावड़ा आरई पार्क से 3 जीडब्ल्यू से अधिक की निकासी आवश्यकता के लिए किए जाने की आवश्यकता है।

(ii) फेस–।। (भाग क से भाग घ) के अधीन खावड़ा आरई पार्क पर 4.5 जीडब्ल्यू आरई अंतःक्षेपण की निकासी के लिए प्रस्तावित सभी पारेषण पैकेजों के कार्यान्वयन को समान समयसीमा में किए जाने की आवश्यकता है।

(iii) लकाडिया पी.एस. का विकासकर्ता, लकाडिया पीएस–अहमदाबाद 765 केवी डी/सी लाइन के समापन के लिए लकाडिया पीएस सिरे पर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के साथ 765 केवी लाइन बे के 2 नंबर के लिए स्थान प्रदान करेगा।

(iv) लकाडिया पीएस–अहमदाबाद 765 केवी डी/सी लाइन के समापन के लिए अहमदाबाद सब–स्टेशन पर 765 केवी लाइन बे का 2 नंबर, अहमदाबाद सब–स्टेशन के विकासकर्ता के दायरे में है। अहमदाबाद सब–स्टेशन का विकासकर्ता, लकाडिया–अहमदाबाद 765 केवी डी/सी लाइन के अहमदाबाद सिरे पर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के संस्थापन के लिए स्थान के साथ 765 केवी लाइन के 2 नंबर प्रदान करेगा।

2. आवेदक को अधिनियम की धारा 63 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसलटेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर ₹ 1106.38 मिलियन के निम्नतम स्तरीकृत पारेषण प्रभारों के साथ पारेषण सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है।

3. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 27.4.2023 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली के निर्माण के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।

4. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं.141/टीएल/2023 में दिनांक 13.7.2023 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण प्रणाली की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।

5. खावड़ा ।।–बी ट्रांसमिशन लिमिटेड (अब पावरग्रिड खावड़ा ।।–बी ट्रांसमिशन लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.powergrid.in/subsidiaries पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।

6. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **7.8.2023** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. आयोग द्वारा दिनांक **11.8.2023** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–
(हरप्रीत सिंह पुथी)
सचिव